न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 9, उन्नाव।

UPUN010016092026

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 693/2026

मोहम्मद नौशाद पुत्र मोहम्मद अंसार निवासी रहमत नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव।

....अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) उन्नाव।

..... विपक्षी।

दिनांकः–30.03.2026

अभियुक्त मोहम्मद नौशाद ने, यह जमानत प्रार्थना–पत्र मु0अ0सं0–606/2025 धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 एवं 12 (1) बी पांसपोर्ट अधिनियम थाना गंगाघाट जिला उन्नाव, में प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

वादी रविशंकर पाण्डे की तहरीर के अनुसार पत्र सं0 एल0आई0यू0 पांसपोर्ट जांच (मो0 नौशाद 2025) दि0 01.09.2025 के पृष्ठांकन दि0 29.08.2025 के माध्यम से प्राप्त वरिष्ठ अधीक्षक पालिसी क्षेत्रीय पांसपोर्ट कार्यालय लखनऊ के पत्र सं0 प0क0/लख0/पालिसी/2025/पांसपोर्ट सं0 के6266794, पी03022702 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, वोटरकार्ड इत्यादि के साथ अपने व्यक्तिगत विवरण (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, जन्मतिथि व पता) में परिवर्तन करने के पश्चात 02 या 02 से अधिक पांसपोर्ट बनवाये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है कि 01–पांसपोर्ट सं0 के6266794 जारी दिनांक 18.01.2013 समाप्ति तिथि–17.01.2023 आवेदक का नाम मोहम्मद नौशाद आवेदक की जन्मतिथि–(20.01.1989) पिता का नाम मोहम्मद अंसार, माता का नाम हसीना बानो, पत्नी का नाम उपलब्ध नहीं, पता 101/42 कर्नलगंज जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, 02. पांसपोर्ट सं0 पी 3022702 जारी दिनांक 10.06.2016 समाप्ति तिथि 09.08.2026 आवेदक का नाम नौशाद अहमद, आवेदक की जन्मतिथि–05.01.1992 पिता का नाम अंसार अहमद, माता का नाम हसीना बेगम, पत्नी का नाम उपलब्ध नहीं, पता रहमत नगर शुक्लागंज मंझार जनपद उन्नाव। आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, वोटरकार्ड इत्यादि के साथ अपने व्यक्तिगत विवरण (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, जन्मतिथि व पता) में परिवर्तन करने के पश्चात 02 या 02 से अधिक पांसपोर्ट बनवाये गये है, की सघन जांचोपरान्त कड़ी कार्यवाही से अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुक्रम में वादी द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी तो पाया गया कि विपक्षी मो0 नौशाद ने वर्ष 2013 में एक पांसपोर्ट पता 101/42 कर्नलगंज थाना कर्नलगंज जनपद कानपुर नगर से बनवाया

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.04.07 19:34:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया। वर्ष 2014–15 से विपक्षी उपरोक्त कर्नलगंज कानपुर नगर छोड़कर अपने वर्तमान पते रहमत नगर शुक्लागंज उन्नाव में रहने लगा। तब विपक्षी मो0 नौशाद ने वर्तमान पता दर्ज कररा ने के लिए पांसपोर्ट आफिस में आवेदन किया लेकिन पता सत्यापित नहीं हो सका जिससे विपक्षी के पांसपोर्ट का पता परिवर्तित नहीं हो पाया। पुनः मो0 नौशाद ने अपने नये पते रहमत नगर शुक्लागंज मंझार जनपद उन्नाव के नाम से पांसपोर्ट बनवाने हेतु मो0 नौशाद की जगह पर नौशाद अहमद के नाम पता, जन्मतिथि, माता का नाम आदि परिवर्तित करवाकर वोटर आई0डी0 बनवाकर वर्ष 2016 में दूसरा पांसपोर्ट पी03022702 जारी करवा लिया गया। विपक्षी मो0 नौशाद द्वारा अपना प्रथम पांसपोर्ट वैध रहते हुए नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, माता का नाम आदि परिवर्तित करके दूसरा पासपोर्ट जारी करना पाया गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। वह निर्दोष है। वह एक अल्पशिक्षित व्यक्ति है जो अंग्रेजी भाषा पढ़ने व समझने में असमर्थ है तथा वह सरकारी व कानूनी दस्तावेजों की विषयवस्तु को समझने में सक्षम नहीं था। उसने वर्ष 2013 में अपने वास्तविक नाम मो0 नौशाद से विधिवत रूप से एक पांसपोर्ट बनवाया था जिसका उद्देश्य विदेश जाकर रोजगार प्राप्त करना था परन्तु उक्त पांसपोर्ट की श्रेणी के कारण खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त करने में व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही थी। रोजगार की अनिवार्य आवश्यकता के कारण वह एक पांसपोर्ट एजेंट के सम्पर्क में आया जिसने उससे आवश्यक कागजात लेकर स्वंय ही आवेदन पत्र तैयार किया तथा पांसपोर्ट से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कीं। वह अल्पशिक्षित होने के कारण अंग्रेजी में तैयार किये गये दस्तावेजों की वास्तविक सामग्री से पूर्णतः अनभिज्ञ था। उसने एजेन्ट पर विश्वास करते हुए सद्भावपूर्वक अपने वास्तविक नाम मो0 नौशाद से हस्ताक्षर कर दिये कि इस भ्रम में कि दस्तावेज सही हैं। उसको तनिक भी ज्ञात नहीं था कि एजेन्ट द्वारा आवेदन पत्र में उसके नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि अथवा अन्य व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तन कर एक अन्य पांसपोर्ट बनवाया जा रहा है। उसकी कोई आपराधिक एवं धोखाधड़ीपूर्ण मंशा होती तो दोनो पांसपोर्टो में अपने हस्ताक्षर भी परिवर्तित कर लेता परन्तु दोनों अभिलेखों में उसने अपने वास्तविक नाम से ही हस्ताक्षर किये थे जो कि इस तथ्य का प्रबल साक्ष्य है कि उसकी आपराधिक मनोवृत्ति नहीं थी। उसका उद्देश्य किसी प्रकार का छलपूर्वक लाभ प्राप्त करना अथवा किसी को हानि पंहुचाना नहीं था बल्कि वह विदेश जाकर वैध रोजगार प्राप्त करना चाहता था जो कि उसके परिवार के भरण–पोषण हेतु अनिवार्य था। उसके द्वारा दोनों पांसपोर्टो का किसी प्रकार अनुचित, अवैध अथवा आपराधिक उपयोग नहीं किया गया है, न ही किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार को इससे कोई आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य हानि पंहुची है। उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। वह कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उसका सत्र न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र न तो सत्र न्यायालय या माननीय उच्च

न्यायालय में विचाराधीन है, न ही खारिज हुआ है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जांच के उपरान्त अभियुक्त मो0 नौशाद द्वारा अपना प्रथम पांसपोर्ट वैध रहते हुए नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, माता का नाम आदि परिवर्तित करके दूसरा पासपोर्ट जारी करना पाया जाने सम्बन्धी उल्लेख किया गया है। पत्रावली में संलग्न अभियुक्त के प्रथम पांसपोर्ट एप्लीकेशन फार्म से यह विदित होता है कि इस पांसपोर्ट में अभियुक्त का नाम मोहम्मद नौशाद अंकित है। अंग्रेजी भाषा के इस फार्म में अभियुक्त के हस्ताक्षर 'मो0 नौशाद' के नाम से हिन्दी में है। इसी पत्रावली में संलग्न हलफनामे में भी अभियुक्त के हस्ताक्षर 'मो0 नौशाद' के नाम से हिन्दी में है तथा जो दूसरा पांसपोर्ट एप्लीकेशन फार्म नौशाद अहमद के नाम से अंग्रेजी भाषा में है, उसमें भी अभियुक्त के हस्ताक्षर 'मो0 नौशाद' के नाम से हिन्दी में है।

अभियुक्त द्वारा जो दूसरे पासपोर्ट के लिये फार्म भरा गया था, उसमें स्वेच्छया या घोषणा की गयी थी कि उसके द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है और सारे तथ्य सही हैं। जबकि दूसरे आवेदन पत्र में मां का नाम, पिता का नाम और पता तीनों ही कॉलम में प्रथम पासपोर्ट के फार्म में भरे गये कॉलम से भिन्न हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा शुरू से ही गलत तथ्यों के आधार पर दूसरा पासपोर्ट बनवाना चाहता था। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दूसरा पासपोर्ट बनवाने हेतु अभियुक्त द्वारा अपना दूसरा भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र बनवाया गया, जिसमें अपने पिता का नाम एवं निवास स्थान परिवर्तित किया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय के मत में बिना मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी करते हुए अभियुक्त का जमानत आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद नौशाद का जमानत प्रार्थना पत्र सं0–693/2026, मु0अ0सं0–606/2025, धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 एवं 12 (1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना–गंगाघाट, जिला–उन्नाव, निरस्त किया जाता है।

(महेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–9,
उन्नाव।